श्रीमान निदेशक/जन सूचना अधिकारी

राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्यानपुर, कानपुर

विषय–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी राजीव दूबे सुत श्री ध्यानचन्द्र दूबे ग्राम–गोपीनाथपुर, पोस्ट–बरुआ उत्तरी जनपद–सुलतानपुर का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के गांव के अच्छेलाल सुत सुखई यादव आपके अधीनस्थ कार्यालय में दिनांक 07–02–1990 से कूट रचित दस्तावेज दाखिल करके नौकरी प्राप्त किया है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अच्छेलाल द्वारा नियुक्ति के समय जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गये थे उसकी जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी लम्भुआ एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर द्वारा दी गई सूचना श्रीमान् निदेशक महोदय को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा चुका हैं के सम्बन्ध में प्राथी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिन्दुओं पर सूचना दिलायें जानें की कृपा करें।

1. अच्छेलाल सुत सुखई यादव द्वारा नियुक्ति के समय दिया गया प्रमाण पत्र कूट रचित एवं फर्जी है के सम्बन्ध में अब तक कितने अधिकारियों से जांच कराई जा चुकी है उनके कमशः नाम एवं पद क्या है।
2. उपरोक्त प्रकरण में किस अधिकारी/जांच एजेन्सी द्वारा जांच कराई जा रही है एवं उस अधिकारी/जांच एजेन्सी का नाम, पता एवं पद क्या है और प्रकरण की जांच की अन्तिम रिर्पोट किस तिथि तक देने का निर्देश हुआ है।
3. अच्छेलाल सुत सुखई यादव द्वारा नियुक्ति के समय जो प्रमाण पत्र दिया गया था उस प्रमाण पत्र में विद्यालय का नाम जूनियर बेसिक विद्यालय गोपीनाथपुर लिखा था जबकि ग्राम पंचायत गोपीनाथपुर में जूनियर बेसिक विद्यालय कभी था ही नही इस बात को जांच अधिकारी/निदेशक जांच से अलग क्यों कर दिया गया ।
4. अच्छेलाल सुत सुखई यादव द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र कूट रचित एवं फर्जी है के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी लम्भुआ एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर के माध्यम से प्राप्त सूचना/जांच की छाया प्रति निदेशक/जांच अधिकारी को भेजा जा चुका है उस प्रमाण पत्र को कूट रचित साबित करने के लिए और कौन से दस्तावेज चाहिए अवगत कराने का कष्ट करे ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को उल्लिखित बिन्दुओं की सूचना समयावधि के भीतर उपलब्ध करायें जाने की कृपा करें ।

सलग्नक → सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक पोस्ट आर्डर (रेखांकित) संख्या 28 एफ 964778

प्रार्थी Rajeev Dubey 03/03/2015

राजीव कुमार दूबे सुत श्री ध्यानचन्द्र दूबे
ग्राम– गोपीनाथपुर
पोस्ट– बरुआ उत्तरी
थाना– कोतवाली चांदा
जनपद– सुलतानपुर
मो. 9838275715
दिनांक 03/03/2015

465
09/3/15

(7)

RTI MATTER / SPEED POST

सं.25(52)/2015/RTI/9

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार

फोन : 0512-2570542,543
फैक्स : 0512-2570247
ई मेल : nsikanpur@nic.in

कानपुर, दिनांक:०६.०४.२०१५

सेवा में,

श्री राजीव दूबे सुत श्री ध्यानचंद्र दूबे,
नि० ग्राम-गोपीनाथपुर,
पो०ग्रा०-बरूआ उत्तरी,
जनपद -सुल्तानपुर (उ०प्र०)

विषय-सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के तहत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया जनसूचना अधिकार अधिनियम २००५ के तहत अपने पत्र दिनांक ०२-०३-२०१५ का सन्दर्भ लें।

आपके पत्र के बिन्दु संख्या-१ तथा २ के संदर्भ में सूचित करना है कि मांगी गई जानकारी के प्रकरण में जाँच चल रही है तथा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। जाँच से संबंधित अधिकारियों का ब्यौरा जाँच के इस चरण में नहीं दिया जा सकता।

बिन्दु संख्या- ३ तथा ४ के तहत मांगी गई जानकारी में सूचना की व्याख्या की अपेक्षा है जो जनसूचना अधिकार की परिभाषा में नहीं आती। इसके अलावा आपके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में यह पुनः सूचित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी प्रदान करें जिसमें निष्कर्ष अथवा अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा आवेदक द्वारा स्थगित समस्याओं का समाधान करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता हो।

अधिनियम के तहत यह भी आवश्यक नहीं कि जनसूचना अधिकारी उपलब्ध सामग्री से कुछ निर्णय/निष्कर्ष निकाल लें और आवेदक को ऐसे निकाले गये निर्णय/निष्कर्ष उपलब्ध करा दें।

उपरोक्त के मद्देनजर एवं आपके द्वारा उठाये गये मुद्दे पर दूसरी जांच एजेंसियों से प्राप्त होनेवाली आख्याओं पर निर्भर रहेगी। अतः मांगी गयी सूचना, आज की तिथि में अनुपलब्ध मानी जाय। यह सूचना देने का निर्णय जांच पूरी होने के उपरांत ही लिया जा पायेगा।

(6)

अतः जहाँ तक जाँच की अंतर्वस्तु का संबंध है यह जनसूचना अधिकार अधिनियम, २००५ के अनुच्छेद-8(1)(e),(h) एवं (j) के तहत देने की बाध्यता नहीं है और वांछित विवेचन/व्याख्या जनसूचना अधिकार के तहत देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यह कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूची से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से ३० दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं :-

श्री नरेन्द्र मोहन
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
कानपुर - २०८०१७.

भवदीय,

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

जारी
संख्या 223
दिनांक 10-4-15